2) III/निग०/रीवा/भू-रा०/2017/3364

न्यायालय श्रीमान् म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs.30/-

बृजलाल पाण्डेय तनय द्वारिका प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम दोहा तहसील सिरमौर जिला रीवा (म0प्र0) ------------आवेदक

<u>बनाम्</u>

मध्यप्रदेश शासन -----------अनावेदक

आवेदक बृजलाल पाण्डेय द्वारा पेश 18-9-17

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी बिरुद्ध आज्ञा श्री राजस्व निरीक्षक राजस्व निरीक्षक मण्डल बैकुण्ठपुर जिला रीवा (म0प्र0) बाबत् प्रकरण क्रमांक- 127ए/12/2016-17 आदेश दिनांक 21/07/2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता सन् 1959ई0।

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त निगरानी के आधार निम्न है :-

1. यह कि अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक का सीमांकन कार्यवाही व आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत है।
2. यह कि राजस्व निरीक्षक महोदय ने व्यक्तिशः चर्तुदिश के काश्तकारो को सूचना नही दिया और ना विधितः प्रकिया के अधीन आवेदक कके समक्ष नाप कर पंचनामा नही बनाया है और ना ही विधि नियमानुसार नम्बरी पत्थर ही गड़ाकर सीमांकन ही ज्ञात कराया, जिससे सीमांकन की कार्यवाही व आदेश काबिल निरस्तगी के है।

BJPandey

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- तीन/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/3364

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/5/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री त्रिभुवन प्रसाद चर्तुवेदी उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल बैकुण्ठपुर जिला रीवा प्रकरण क्रमांक 127/ए-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 21-07-17 के विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि बृजलाल पाण्डे तनय द्वारिका प्रसाद पाण्डे निवासी ग्राम दोहा तहसील सिरमौर के खसरा क्रमांक 217/2/2 रकबा 0.162 हे0 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें पटवारी हलका/गठित टीम के द्वारा सीमांकन की पुष्टि की गई थी जिसमें स्थल पंचनामा पर दिनांक 21/06/17 में बृजलाल पाण्डे, मनोज कुमार पाण्डे, करूणा प्रसाद आदि के हस्ताक्षर हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सीमांकन की जानकारी आवेदक को है और यह कहना उचित नहीं है कि आवेदक को सूचना नहीं है इससे प्रतीत होता है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 21/07/17 को किया गया	

सीमांकन उचित है।

3- उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक मण्डल बैकुण्ठपुर जिला रीवा प्रकरण क्रमांक 127/ए-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 21-07-17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख के साथ भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य